



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1156 / 10 एल. २०  
सेवा में,

दिनांक 07 / 07 / 2021

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला काण्डा तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है:-

1	प्रस्ताव में संलग्न जस्टिफिकेशन प्रपत्र में प्रस्तावित वन भूमि 7.00 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित की गयी है जबकि लैण्ड शैड्यूल प्रपत्र में सिविल एवं वन पंचायत भूमि 9.00 मीटर व आरक्षित वन भूमि 6.00 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
2	एफ0आर0ए0 प्रपत्र में सुधार हेतु पूर्व में भी पत्र लिखा गया, परन्तु आपके द्वारा एफ0आर0ए0 प्रपत्र में गांव समिति प्रपत्र में ग्राम पंचायत उमट्टा में हुई बैठक का दिनांक अंकित नहीं की गयी है तथा ग्राम समिति में उपस्थित हुए ग्रामीणों की उपस्थिति प्रपत्र भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
3	पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग का वनभूमि हस्तानान्तरण स्वीकृति भी प्रस्ताव में संलग्न करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। प्रति संलग्न

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:-1. दस वर्षीय प्राकलन 4 प्रति में

2. वन भूमि हस्तानान्तरण स्वीकृति प्रपत्र 4 प्रति में

07-07-21  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग